प्रेस विज्ञप्ति
20.06.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय ने 07.05.2024 को मेसर्स जगत एग्रो कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मुंबई के समक्ष 16 आरोपियों यानी मेसर्स जगत एग्रो कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड, संत लाल अग्रवाल, सतीश पावा और अन्य के खिलाफ अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 13.06.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है।

ईडी ने ईओ-II, सीबीआई, दिल्ली द्वारा मेसर्स जगत एग्रो कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड, संत लाल अग्रवाल, सतीश पावा और 10 अन्य के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी का अपराध करके भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) को रुपये 397.67 करोड़ का गलत नुकसान कराने के लिए भारतीय स्टेट बैंक, स्ट्रेस्ड एसेट्स मैनेजमेंट ब्रांच-II, दिल्ली के उप महाप्रबंधक की शिकायत के आधार पर दर्ज एफआईआर के आधार पर जाँच शुरू की।

ईडी की जाँच के दौरान, यह पता चला कि संत लाल अग्रवाल और सतीश पावा ने चावल दलालों के साथ मिलकर वित्तीय दस्तावेज बनाने और अपनी कंपनी की बैलेंस शीट को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने की साजिश रची, जिससे झूठे बहाने से एसबीआई और पीएनबी से बड़े पैमाने पर ऋण हासिल किए गए। चावल के व्यापार और निर्यात के लिए दिए गए ऋणों को कई अन्य कंपनियों (संबंधित और असंबंधित) में डायवर्ट किया गया और बिक्री और खरीद के फर्जी बिलों के जरिए धन की हेराफेरी की गई।

इससे पहले, ईडी ने इस मामले में अचल संपत्तियों के रूप में रुपये 50.59 करोड़ की अपराध की आय को अस्थायी रूप से कुर्क किया था।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।

****